**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील : 66/2021**

**अपीलांटः–**

1. लखमा पुत्र धनाजी जाति जाट, निवासी मीरपुरा हाल निवासी कोटडा तहसील रानीवाड़ा जिला जालौर।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्सः–**

1. डूगरा पुत्र धनाजी के कायम मुकाम–
1/1. अणसी देवी पत्नी डुंगरा
1/2. कमला पुत्री डुंगरा
1/3. अनु पुत्री डुंगरा
1/4. मगा पुत्र डुंगरा
1/5. देदा पुत्र डुंगरा
2. दौलाराम पुत्र डुंगरा जातियान तमाम जाट निवासीगण मीरपुरा हाल निवासी कोटड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।
3. भूमिधारी तहसीलदार महोदय, रानीवाडा, जिला जालोर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
1. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, विद्वान अभि. रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 07/12/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या (53/2016) 57/2016 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कोटड़ा तहसील रानीवाडा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं अपीलांट की सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या 291, खसरा नम्बर 159 रकबा 3.35 हैक्टर किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.81 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.29 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.04 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.46 है. किस्म भूमि बारानन्नी दोयम, खसरा संख्या 165 रकबा 0.77 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 166 रकबा 0.45 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 167 रकबा 0.14 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 169 रकबा 5.19 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.69 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 0.79 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, कुल रकबा 14.87 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें राजस्व रैकर्ड के अनुसार लखमा का 2/3 हिस्सा, डुगरा का 1/3 हिस्सा बराबर 6/21 हिस्सा पिसरान धना, दौला वल्द डुंगरा, 1/21 हिस्सा लखमा, डुगरा पिसरान धना 2/3 हिस्सा जातियान जाट, साकीन मीरपुरा खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 292 खसरा संख्या 160 रकबा 0.07 है. किस्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी की आई हुई है। जिसमें लखमा का 5/9 हिस्सा, एवं डुगरा का 4/9 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 291 कुल रकबा 14.87 है. में वादी डुंगरा का 1/3 हिस्सा में से 1.417 है तथा 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा रकबा 4.956 है. बराबर 6.373 है. का स्वामित्व व कब्जा उक्त आराजी मे है एवं दौलाराम का उक्त आराजी कुल रकबा 14.87 है. में से 1/21 बराबर 0.7085 हिस्सा है एवं अपीलांट का उक्त आराजी में 7.79 हैक्अर का स्वामित्व व कब्जा काश्त बताया एवं यह उल्लेख किया कि उक्त आराजी का अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है। बंटवारे हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिस पर विधि विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई के जरिये दिनांक 29.12.2016 को उपस्थिति दी थी। जो आदेशिका से स्पष्ट है जिनके द्वारा दिनांक 21.05.2018 को अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता से सम्पर्क मे न होने के कारण पैरवी की हिदायत नही होना बताते हुये न्यायालय की आदेशिका में टिप्पणी अंकित की है। परन्तु अपीलांट को उनके द्वारा नियुक्त किये गये अधिवक्ता द्वारा कभी भी किसी प्रकार से सम्पर्क नही किया गया बल्कि अपीलांट निरन्तर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क में रहा परन्तु अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.11.2017 को उसकी और से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव बन्द किये जाने का भी कोई जानकारी नही दी गई। एवं गलत रूप से अपीलांट की और से पैरवी की हिदायत नही होना बातते हुये कार्यवाही की गई है। जिसमें अपीलांट की कोई बदनियती नही थी। अपीलांट एक अनपढ़ व्यक्ति है मात्र अगुठा करना जानता है। जिससे उसे न्यायालय की प्रकिया के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिकाओं में यह उल्लेख किया है कि अपीलांट का सम्मन जरिये रजिस्ट्री न्यायालय के खर्चे पर भिजवाया गया एवं निरन्तर आदेशिकाओं में यह उल्लेख किया गया की वादी वकील को सम्मन जरिये एडी डाक से भेजने हेतु दिये गये एवं दिनांक 26.02.2020 की आदेशिका में यह उल्लेख किया गया की वादी वकील द्वारा अपीलांट को रजिस्ट्री डाक से भेजे गये सम्मन की रसीद पेश की गई यह दोनों ही तथ्य अपने आप में विरोधाभासी है। क्योंकि एक तरफ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिए रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजना उल्लेखित किया है वही दूसरी ओर वादी के अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजने की रसीद पेश किये जाने का उल्लेख किया है। अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त नही हुआ है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा मिलावट कर तामिल गलत रूप से करवाई गई है जबकि उक्त तामील करवाये जाने का दायित्व न्यायालय स्वयं का था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2021 को अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। जो नोटिस भेजने के माह 11 माह बाद की कई है। जिससे भी न्यायालय के आचरण पर संदेह उत्पन्न होता है।

उक्त के बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 14.07.2021 को अन्य अधिवक्ता श्री जबरारामजी पुरोहित को नियुक्त करते हुये एक तरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण दिनांक 11.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की गई की उसके द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेंर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु एक माह का समय मांगा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी प्रार्थना को अनसुना करते हुये प्रकरण दिनांक 25.11.2021 को वास्ते आदेश रखा गया एवं रेस्पोडेन्ट की एक तरफा बहस सुन ली गई जब अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ए वं उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया तो माफिक कानून अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु उचित समय प्रदान किया जाना था जो नही किया गया। कोरोना काल क चलते राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी परिपत्र जारी किया गया था कि किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई निर्णय अथवा कोई कार्यवाही जो पक्षकारों के हितों के विपरित हो नही की जायेगी। फिर भी उक्त समस्त को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। साथ ही दिनांक 07.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2021 की पालना में तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्तवा तैयार किये जाने की कोई सुचना अपीलान्ट को नही दी गई थी। एवं गलत रूप से अपीलांट व उसके पुत्र देदाराम की उपस्थिति स्वयं की मौका रिर्पोट में दर्शायी गई है। एवं स्वयं रेस्पोडेन्ट के वाद से उक्त तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 160 किस्म 0.07 हैक्टर मुमकिन ढाणी आई हुई है परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट में कही पर भी ढाणी एवं रहवास अपीलांट के परिवार का होने को कोई उल्लेख नही किया गया है एवं गलत रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि (मौका फर्द विभाजन प्रस्ताव के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

समय अनुपस्थित पूर्व में उठकर चल गये) सरासर गलत अंकित किया है यदि अपीलांट व उसका पुत्र वक्त मौका निरीक्षण उपस्थित थे तो उनके द्वारा हस्ताक्षर नही किये जाने का कोई कारण नही दर्शाया है। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण मनमाना व एकतरफा किया गया है एवं जिसे मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। एवं वादग्रस्त आराजी का भौतिक रूप से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन माके पर हो रखा है एवं उसी अनुसार अपीलांट व उसके पुत्रों की रहवासी मकानात आदि मौके पर बने हुये है परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष छिपाते हुये गलत रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा अपने मौका निरीक्षणा में जो नक्शा बनाया गया है उसमें यह अंकित किया है कि दोनो पक्षकार के यानी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने अपने हिससे में जाने हेतु कोटड़ा से खारा ग्रेवल सड़क से आवागमन बाबत रास्ता खरीद किया गया है इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि मौके पर पक्षकारान के मध्य विभाजन हो रखा है परन्तु जानबुझकर तहसीलदार द्वारा अपने मौका रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की गई है। दिनांक 07.07.2021 को तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया इसका आदेशिका में कोई हवाला नही है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभोजन प्रस्ताव पर अपीलांट को नियमानुसार आपत्ति किये जाने का कोई उचित अवसर प्रदान किया है। आदेशिका दिनांक 25.11.2021 में बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रातस होने का हवाला देते हुये उसी रोज जैर अपील आदेश पारित किया है जो विधि अनुसार नही है अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, बिना साक्ष्य सबूत लिये, एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कोटड़ा तहसील रानीवाडा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं अपीलांट की सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या 291, खसरा नम्बर 159 रकबा 3.35 हैक्टर किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.81 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.29 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.04 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.46 है. किस्म भूमि बारानननी दोयम, खसरा संख्या 165 रकबा 0.77 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 166 रकबा 0.45 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 167 रकबा 0.14 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 169 रकबा 5.19 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.69 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 0.79 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, कुल रकबा 14.87 हैक्टर की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आई हुई है। जिसमें राजस्व रैकर्ड के अनुसार लखमा का 2/3 हिस्सा, डुगरा का 1/3 हिस्सा बराबर 6/21 हिस्सा पिसरान धना, दौला वल्द डुंगरा, 1/21 हिस्सा लखमा, डुगरा पिसरान धना 2/3 हिस्सा जातियान जाट, साकीन मीरपुरा खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 292 खसरा संख्या 160 रकबा 0.07 है. किस्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी की आई हुई है। जिसमें लखमा का 5/9 हिस्सा, एवं डुगरा का 4/9 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 291 कुल रकबा 14.87 है. में वादी डुंगरा का 1/3 हिस्सा में से 1.417 है तथा 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा रकबा 4.956 है. बराबर 6.373 है. का स्वामित्व व कब्जा उक्त आराजी मे है एवं दौलाराम का उक्त आराजी कुल रकबा 14.87 है. में से 1/21 बराबर 0.7085 हिस्सा है एवं अपीलांट का उक्त आराजी में 7.79 हैक्अर का स्वामित्व व कब्जा काश्त बताया। उक्त के संबध में वाद प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से वकील श्री पुखराज विश्नोई द्वारा दिनांक 29.12.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक 12.09.2017 अपीलांट के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर 100 रूपये का कोस्ट लगा कर अवसर ओर प्रदान किया गया। उसके बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 12.10.2017 को रूपये 500/– का कोस्ट लगा कर अपीलांट को अवसर प्रदान किया गया। उक्त सभी अवसरो के बाद भी अपीलांट वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बंद करने का आदेश दिनांक 22.11.2017 को पारित किया गया। उक्त के बाद में तनकियात कायम की गई। उक्त समस्त के पश्चात् अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead दिनांक 21.05.2018 को किया गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये थे जो अदम तामिल आने के बाद पुनः जरिए रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस प्रेषित करते हुए अपीलांट को पूर्ण सुनवाई के कई अवसर प्रदान करते हुए 04.01.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवया गया। उक्त विभाजन से पूर्व अपीलांट को नोटिस प्रेषित किया गया जो अपीलांट द्वारा तामिल किया गया। उसके बाद बंटवाडा रिपोर्ट के समय उपस्थित रहे किन्तु हस्ताक्षकर करने का कहने पर बिना कोई कारण बताये हस्ताक्षकर करने से मना करते हुए उठ कर चले गये एवं उक्त रिपोट/विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षकर नही किये। उक्तानुसार प्राथमिक बंटवाडा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए समस्त पक्षकारान को समुचित सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कोटड़ा तहसील रानीवाडा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं अपीलांट की सामलाती खातेदारी आराजी खाता संख्या 291, खसरा नम्बर 159 रकबा 3.35 हैक्टर किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.81 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.29 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.04 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.46 है. किस्म भूमि बारानननी दोयम, खसरा संख्या 165 रकबा 0.77 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 166 रकबा 0.45 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 167 रकबा 0.14 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 169 रकबा 5.19 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.69 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 0.79 है. किस्म भूमि बारानी दोयम, कुल रकबा 14.87 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें राजस्व रैकर्ड के अनुसार लखमा का 2/3 हिस्सा, डुगरा का 1/3 हिस्सा बराबर 6/21 हिस्सा पिसरान धना, दौला वल्द डुंगरा, 1/21 हिस्सा लखमा, डुगरा पिसरान धना 2/3 हिस्सा जातियान जाट, साकीन मीरपुरा खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 292 खसरा संख्या 160 रकबा 0.07 है. किस्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी की आई हुई है। जिसमें लखमा का 5/9 हिस्सा, एवं डुगरा का 4/9 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 291 कुल रकबा 14.87 है. में वादी डुंगरा का 1/3 हिस्सा में से 1.417 है तथा 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा रकबा 4.956 है. बराबर 6.373 है. का स्वामित्व व कब्जा उक्त आराजी मे है एवं दौलाराम का उक्त आराजी कुल रकबा 14.87 है. में से 1/21 बराबर 0.7085 हिस्सा है एवं अपीलांट का उक्त आराजी में 7.79 हैक्अर का स्वामित्व व कब्जा काश्त बताया। उक्त के संबध में वाद प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से वकील श्री पुखराज विश्नोई द्वारा दिनांक 29.12.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक 12.09.2017 अपीलांट के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर 100 रूपये का कोस्ट लगा कर अवसर ओर प्रदान किया गया। उसके बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 12.10.2017 को रूपये 500/– का कोस्ट लगा कर अपीलांट को अवसर प्रदान किया गया। उक्त सभी अवसरो के बाद भी अपीलांट वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बंद करने का आदेश दिनांक 22.11.2017 को पारित किया गया। उक्त के बाद में तनकियात कायम की गई। उक्त समस्त के पश्चात् अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead दिनांक 21.05.2018 को किया गया। इसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये थे जो अदम तामिल आने के बाद पुनः जरिए रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस प्रेषित करते हुए अपीलांट को पूर्ण सुनवाई के कई अवसर प्रदान करते हुए 04.01.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवया गया। उक्त विभाजन से पूर्व अपीलांट को नोटिस प्रेषित किया गया जो अपीलांट द्वारा तामिल किया गया। उसके बाद बंटवाडा रिपोर्ट के समय उपस्थित रहे किन्तु हस्ताक्षकर करने का कहने पर अगुष्ठ व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 25.11.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरोध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा स्वंय मौके पर जाकर राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस पर अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट/प्रतिवादीगण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ रहे है। उक्त तथ्यों की पुष्टी अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भली भांती होती है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या (53/2016) 57/2016 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2021 एवं अंतरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये थे जो अदम तामिल आने के बाद पुनः जरिए रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस प्रेषित करते हुए अपीलांट को पूर्ण सुनवाई के कई अवसर प्रदान करते हुए 04.01.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवया गया। उक्त विभाजन से पूर्व अपीलांट को नोटिस प्रेषित किया गया जो अपीलांट द्वारा तामिल किया गया। उसके बाद बंटवाडा रिपोर्ट के समय उपस्थित रहे किन्तु हस्ताक्षकर करने का कहने पर अगुष्ठ व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 25.11.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरोध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा स्वंय मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस पर अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट/प्रतिवादीगण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ रहे है। उक्त तथ्यों की पुष्टी अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भली भांती होती है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या (53/2016) 57/2016 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2021 एवं अंतरिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली